प्रतिवेद्य

भारत की सर्वोच्च न्यायालय में

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार

<u>दीवानी अपील सं. 2077/2020</u>

[विशेष अनुमति याचिका(सी) सं. 8550/2019 से उद्भूत]

साधना चौधरी ....अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य .....प्रत्यर्थीगण

<u>निर्णय</u>

अनुमति प्रदत्त।

2. यह अपील उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.12.2018 के आदेश के विरूद्ध व्यथित होने से साधना चौधरी द्वारा दायर किया गया है जिसमें प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा से उसके निकाले जाने की न्यायिक समीक्षा की मांग करने वाली उसकी रिट याचिका को अस्वीकृत किया गया था।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

3. अपीलकर्ता को दिनांक 05.06.1975 को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में भर्ती किया गया था और वह अपर मुंसिफ, देहरादून के रूप में तैनात थीं। बाद में उन्हें 1981 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैडर में और फिर से दिनांक 21.03.1987 को उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवाओं में पदोन्नत किया गया।

4. उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ ने एक भूमि अधिग्रहण संदर्भ के विरूद्ध पहली अपील की सुनवाई करते समय दिनांक 05.03.2004 को उन तरीकों के संबंध में कुछ टिप्पणीयाँ की, जिसमें समान प्रकृति के कुछ अन्य भूमि अधिग्रहण वाद उत्तर प्रदेश राज्य[1] में अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों द्वारा अधिनिर्णीत किये जा रहे थे। निर्णय की एक प्रति उचित कार्यवाही के लिए उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति के समक्ष रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई। प्रशासनिक समिति ने भूमि अधिग्रहण मामलों में मिलीभगत की शिकायतों की जांच के लिए दो न्यायाधीशों की एक समिति का गठन किया। इस जांच समिति ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश (यूपी) के कई जिलों का दौरा करने और कई निर्णयों की जांच करने के बाद, दिनांक 19.09.2004 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अपीलकर्ता सहित कुछ न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की गई थी।

---

1 आगरा विकास प्राधिकरण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2004 ऑल एलजे 1853

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

5. तदनुसार, अपीलकर्ता पर गाजियाबाद में अपर जिला न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपने द्वारा दिए गए दो न्यायिक आदेशों के संबंध में एक आरोप पत्र दिया गया। अपीलकर्ता पर निम्नलिखित आरोप लगाए गए थे:

> **"आरोप सं. 1**- यह कि आपने दिनांक 10.02.2003 को द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गाजियाबाद के रूप में तैनात रहते हुए भूमि अधिग्रहण संदर्भ सं. 193/1996 लीली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 35 अन्य में अवैध रूप से और सभी न्यायिक मानदंडों और औचित्य के खिलाफ दावेदारों को हर्जाना देते हुए अतिरिक्त राशि और ब्याज उस दर से अधिक पर निर्णीत किया जिस पर दो अन्य दावेदारों ने समझौता किया था, जो 276 बीघा 12 बिस्वा और 15 बिस्वंसी भूमि क्षेत्र के लिए एस.एल.ए.ओ. द्वारा निर्धारित रू. 74.40 के सापेक्ष रु. 265/प्रति वर्ग गज की बढ़ी हुई दर पर इस तरह के अन्य लाभों को शामिल किया गया था रू. 47,73,39,903.86 की अतिरिक्त राशि को असम्यक रूप से दिया गया था, जो इस अनुमान की ओर ले जाता है कि आपने बाह्य विचारों द्वारा कार्य किया गया था और आप इस प्रकार कर्तव्य के प्रति पूर्ण ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा बनाए रखने में विफल रहे और इस प्रकार आपने लोक सेवक आचरण नियमावली 1956 के नियम 3 के अन्तर्गत कदाचार किया।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

आरोप सं.2- यह कि आप दिनांक 7.11.2003 को अपर जिला न्यायाधीश, कोर्ट सं. 1, गाजियाबाद के रूप में तैनात थे भूमि अधिग्रहण संदर्भ सं. 91 वर्ष 2001 उमेश चन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 66 अन्य मामलों को निर्णीत करते समय एस.एल.ए.ओ. द्वारा निर्धारित रु. 100 प्रति वर्ग गज से रु. 160 प्रति वर्ग गज , प्रतिवादियों द्वारा दायर किए गए प्रतिमानों की अवहेलना करते हुए अवैध रूप से मुआवजे की दर को बढ़ाया, जिसमें 483 बीघा 14 बिस्वा व 8 बिस्वन्सी भूमि क्षेत्रफल के दावेदारों को रू. 28,53,24,896.80 की एक अतिरिक्त राशि देने के क्रम में समान योजना के अन्तर्गत व समान क्षेत्र में, समान वर्ष में भूमि अधिग्रहण के लिए आपका अपना निर्णय भूमि अधिग्रहण संदर्भ सं. 1 सन् 1992 सुरेंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य दिनांक 24.03.1993 को निर्णीत, भी शामिल है, यह अनुमान देता है कि आपने बाह्य विचारों द्वारा कार्य किया गया था और आप इस प्रकार कर्तव्य के प्रति पूर्ण ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा बनाए रखने में विफल रहे और इस प्रकार आपने लोक सेवक आचरण नियमावली 1956 के नियम 3 के अन्तर्गत कदाचार किया।"

(प्रभाव वर्धित)

6. अपीलकर्ता ने आरोप-पत्र का विस्तृत जवाब, साथ ही अतिरिक्त लिखित तर्क प्रस्तुत किए। बाद में, एक जांच की गई और जांच समिति ने अपनी

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

रिपोर्ट दिनांक 09.09.2005 के माध्यम से अवधारित किया कि इन दोनों आरोपों के लिए साबित हो गया था कि दोनों मामलों में स्पष्ट त्रुटियां थीं जो इस तरह की 'चौकने वाली चूक' थीं कि उन्हें मात्र गलत निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था और परिणामस्वरूप 'जानबूझकर' किया गया साबित हुआ। उक्त रिपोर्ट को प्रशासनिक समिति के समक्ष रखा गया था जिसने इसे दिनांक 29.11.2005 के संकल्प द्वारा स्वीकार कर लिया था और सजा की मात्रा के निर्धारण के लिए मामले को पूर्ण न्यायालय में भेज दिया था। पूर्ण न्यायालय ने अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने का निश्चय दिया और फलस्वरूप राज्य (प्रत्यर्थी सं. 1) को अपनी सिफारिश अग्रेषित की, जिसके माध्यम से दिनांक 17.01.2006 को उसके नियुक्ति विभाग द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से अपीलकर्ता को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया। अपीलकर्ता ने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायिक तरीके से उच्च न्यायालय के समक्ष बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी।

7. उच्च न्यायालय की खण्ड़ पीठ ने दो भूमि अधिग्रहण संदर्भों पर ध्यान दिया जो अपीलकर्ता द्वारा निर्णीत किए गए थे। **लिली सिंह बनाम राज्य**[2] के पहले मामले के संबंध में यह अवधारित किया कि अपीलकर्ता ने 74.40/वर्ग गज (विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा निर्धारित) से 264/वर्ग गज मुआवज़ा बढ़ाने के लिए दो अन्य दावेदारों के एक समझौता विलेख पर गलत तरीके से अवलम्ब लिया था। इसके अलावा, उन्होनें उक्त निर्धारित दर से अधिक हर्जाना और ब्याज का फैसला दिया था, जिसके कारण रू. 720/वर्ग गज की

2 भूमि अधिग्रहण संदर्भ सं. 193/2006, दिनांक 10.02.2003 को निर्णीत

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

भारी वृद्धि हुई। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 11(3) की वैधानिक सीमा के कारण समझौता विलेख अबोधगम्य होने से उस पर इस तरह की निर्भरता को मानते हुए वृद्धि को असंगत और न्यायिक औचित्य के विरूद्ध माना गया।

8. **उमेश चन्द्र बनाम राज्य**[3] में दूसरे संदर्भ के सम्बन्ध में न्यायालय ने अवधारित किया कि न्यायाधीश के रूप में अपीलार्थी ने राज्य -प्रतिवादियों द्वारा दायर किए गए मिसालों की अवैध रूप से अवहेलना की, विशेष रूप से, रू. 108/वर्ग गज का पंचाट उनके द्वारा इसी प्रकार के मामले में केवल कुछ मास पूर्व पारित किया गया। इस तरह के सबूतों के बावजूद, अपीलकर्ता के बारे में कहा गया कि उन्होनें सभी न्यायिक मानदंडों के उल्लंघन में मुआवजे को रू. 100/वर्ग गज से बढ़ाकर रू. 160/वर्ग गज कर दिया।

9. खंडपीठ ने मत दिया कि यह स्थापित विधि थी हालांकि एक न्यायिक अधिकारी द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय की अनुशासनात्मक जांच के उद्देश्यों के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है, हालांकि निर्णय लेने की प्रक्रिया की वैधता और शुद्धता के साथ-साथ अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अधिकारियों के आचरण पर विचार किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने तदनुसार प्रत्यर्थी की इस दलील का समर्थन किया कि पूर्वोक्त दो भूमि अधिग्रहण संदर्भों का निर्णय करते समय अपीलार्थी की निर्णय लेने की प्रक्रिया स्थापित न्यायिक मानदंड़ों व न्यायिक औचित्य से परे थी और बाह्य विचारों द्वारा कार्य किया गया था। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने दावेदारों को उपलब्ध कराए गए अप्रत्याशित लाभ पर जोर दिया जो बाहरी विचारों के प्रतिक्रिया में

3 भूमि अधिग्रहण संदर्भ सं. 91/2001 दिनांक 07.11.2003 को निर्णीत

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अपीलकर्ता द्वारा किए गए जानबूझकर खामियों के सबूत के रूप में हैं और न कि केवल निर्णय की त्रुटियाँ हैं। इसे उच्च न्यायालय ने जांच समिति द्वारा दिए गए मत के रूप में कदाचार माना।

10. इसके अलावा, न्यायालय ने उल्लेख किया कि, अन्यथा भी, साक्ष्य के सख्त नियम विभागीय जाँच के लिए अनुपयुक्त थे, और ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा भी बहुत सीमित था, अनुशासनात्मक जांच के निष्कर्षों को केवल सामग्री की पूर्ण अनुपस्थिति में हस्तक्षेप किया जा सकता था, जो प्रस्तुत मामलें में नही था।

पक्षकारों के तर्क

11. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया कि हालांकि उच्च न्यायालय ने निःसंदेह सही विधि की व्याख्या की फिर भी प्रस्तुत वाद के तथ्यों पर इसे उचित रूप से लागू करने में असफल रहा। उन्होनें तर्क दिया कि आरोप पत्र 'निर्णय लेने के प्रक्रिया' के अवैध होने का कोई आरोप नहीं लगाता और इसे बाद में अपीलार्थी की सेवामुक्ति के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता। आरोप पत्र के माध्यम से अदालत को अभिलेख पर लेते हुए, यह दर्शित किया गया था कि साबित होना तो दूर, किसी भी अवैध पारितोषण की प्राप्ति या किसी विशिष्ट बाहरी कारक द्वारा प्रभावित किए जाने का कोई आरोप भी उसके खिलाफ नहीं लगाया गया था। सिवाय दो भूमि अधिग्रहण संदर्भ आदेशों को छोड़कर, निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने के लिए कोई गवाह या सामग्री प्रस्तुत नहीं की गयी थी। यह **पीसी जोशी**

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[4] के अनुसार स्पष्ट रूप से अननुज्ञेय थी। अन्यथा भी, न्यायिक आदेशों के सार की उपयुक्तता का निर्धारण अपीलीय अदालतों का अधिकार-क्षेत्र कहा गया था न कि जांच समितियों का।

12. गुणावगुण के आधार पर भी, यह तर्क किया गया था कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि अपीलार्थी ने **लिली सिंह** में आदेश को संदर्भित करते हुए अवैध रूप से समझौता विलेख पर अवलम्बन लिया था, क्योंकि एलए अधिनियम की धारा 11(3) के तहत कथित वर्जन केवल कलेक्टर द्वारा दिए गए पंचाट पर लागू था। संदर्भ न्यायालयों को धारा 23 और 24 के तहत विभिन्न कानूनी प्रावधानों द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसके अनुसार समझौता विलेखों को अपवर्जित नहीं किया गया था। वृद्धि को मनमाने नहीं होने के रूप में भी दिखाया गया था, बल्कि न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की समझौता नीति पर आधारित बताया गया था, जिसे राज्य के प्राधिकारियों द्वारा दी जा रही अतिरिक्त 10% विकसित भूमि के बजाय मुआवजा और ब्याज की वैधानिक बकाया राशि देने के लिए बदल दिया गया था। इसलिए, यह अभिकथित किया गया था कि यदि कोई हो, तो 720/वर्ग गज रुपये का शुद्ध मुआवज़ा प्रभावी रूप से राज्य को लागत में कम था, जो कि उनकी स्वयं की नीति के तहत 1120/ वर्ग गज वहन किया जा रहा है।

13. **उमेश चंद** के अनुसार, यह प्रस्तुत किया गया था कि पांच महीने पहले दिए गए अपीलकर्ता के अपने फैसले से भिन्नता, सारवान विकास और कीमतों में वृद्धि का परिणाम था जो बीच में हुई थी। यह विधिवत रूप से

---

4 (2001) 6 एससीसी 491

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

विजिलेंट दावेदारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित था और इसलिए मुआवजे को 60% से बढ़ाकर 160/वर्ग गज कर दिया गया था। सुस्पष्टतया, यह मुआवज़ा ही, जो कि जांच समिति द्वारा एक चौंकाने वाली गड़बड़ी के रूप में पाया गया था, शीर्ष अदालत द्वारा कुछ अन्य दावेदारों द्वारा दायर एसएलपी में 297/वर्ग गज रुपये आगे बढ़ा दिया था और स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार, कदाचार के अनुमान के आधार पर ही शेष नहीं होने (बचा नहीं रहना) का दावा किया गया था।

14. उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित विधि की स्थिति को दोहराते हुए , अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि यह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में एक न्यायिक अधिकारी का आचरण था और उसके निर्णय की वैधता/शुद्धता, अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन नहीं हो सकती है। अपीलकर्ता द्वारा दोनों संदर्भों में विस्तृत कारणों को देते हुए, 'कर्तव्यों का लापरवाह निर्वहन' नहीं था। यदि अवैध पारितोषण के किसी आरोप के अभाव में कर्तव्य में ऐसा लोप किया गया था तो भी, यह **भारत संघ बनाम जे अहमद**[5] में इस न्यायालय के आदेश के अनुसार 'उपेक्षा' होगा न कि 'कदाचार' होगा। आरोपों को केवल निराधार संदेह पर आधारित कहा गया था और न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1850 से लेकर न्यायिक प्रतिरक्षा के सुस्थापित सिद्धांतों तक के कारण, न्यायिक आदेशों में किसी भी संभावित त्रुटियों को कार्यवाही के लिए आधार नहीं होने का तर्क दिया गया था।

---

5 एआईआर 1979 एससी 1022

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

15. बिना किसी तर्कसंगत आधार के, केवल उन दो मामलों का चयन करने के लिए जांच की प्रकृति को भटका हुआ कहा गया था। **आगरा विकास प्राधिकरण (उपरोक्त)** में उच्च न्यायालय का आदेश केवल उन मामलों, जहां न्यायिक असंगतता या भूमि अधिग्रहण संदर्भ मामलों में मिलीभगत के आरोप न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए थे, के लिए लागू होना था, जो वर्तमान मामला नहीं था। अपराध के बावजूद, अपीलकर्ता ने आग्रह किया कि सजा की मात्रा अनुचित थी। लगभग तीस साल की बेदाग सेवा प्रदान करने के बाद, उपरोक्त बताये गये आरोपों के आधार पर उसे बर्खास्त करना असंगत है, यह प्रार्थना की गई।

16. दूसरी ओर, उच्च न्यायालय (प्रत्यर्थी सं. 2) के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि न्यायिक अधिकारी सामान्य सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और यह कि उन्हें सत्यनिष्ठा के उच्च मानक का पालन करना चाहिए और संदेह से परे होना चाहिए। ऐसे उच्च पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों में उच्च अखंडता, ईमानदारी, नैतिक शक्ति, निष्पक्षता होनी चाहिए और भ्रष्ट या बुरे प्रभावों के लिए अभेद्य होना चाहिए। घरेलू जांच के मामलों में हस्तक्षेप की सीमित गुंजाइश जहां विशिष्ट तथ्यों पर स्थापित आरोपों को साबित किया गया है, को भी रेखांकित किया गया था।

17. इस प्रकार, वर्तमान कार्यवाहियों का क्षेत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से, अधीनस्थ न्यायाधीशों पर उच्च न्यायालय का अनन्य नियंत्रण रखने वाले संवैधानिक उपबंधों पर ध्यान आकर्षित करते हुए, निर्बधित किए जाने की माँग की गई थी। इस तथ्य को देखते हुए कि

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अपीलार्थी को अभिलेख पर लिखित कथन प्रस्तुत करने और सुने जाने का अवसर प्रदान किया गया था और उसके विस्तृत जबाब पर विचार किया गया था और खारिज कर दिया गया था, यह उसके लिए इस न्यायालय के माध्यम से उसके मामले के पुनः-निर्धारण की माँग करने के लिए खुला नहीं था। यह तर्क दिया गया था कि जांच समिति और पूर्ण न्यायालय दोनों द्वारा अपने मस्तिष्क का प्रयोग किया गया था और तर्कपूर्ण आदेश पारित किए गए थे, जिसमें यह स्पष्ट रूप से पाया गया था कि अपीलकर्ता अपने आचरण को सही ठहराने में पूरी तरह से विफल रहा था और उसने बहुत लापरवाह और मनमाने तरीके से काम किया था, जो सभी न्यायिक औचित्यों से परे था। न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए सेवाओं की बर्खास्तगी को न्यायोचित ठहराते हुए इसे निःसंदेह 'गंभीर कदाचार' की कोटि में आने का अभिकथन किया गया था

विश्लेषण

18. निस्संदेह, उच्च न्यायालय प्रयोज्य विधि के अपने अवलोकन में सही है। वास्तव में, न्यायिक प्रक्रिया का अंतिम परिणाम मायने नहीं रखता है, और केवल कसूरवार अधिकारी द्वारा अपनायी गयी निर्णय लेने की प्रक्रिया ही मायने रखती है। स्पष्ट रूप से यह उन्नीसवीं शताब्दी से ही एक सिद्धांत है कि न्यायाधीशों को अंतिम परिणाम या उनके निर्णयों के प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।[6] यह आवश्यक है कि दोनों विधि के शासन को बनाए रखें और बाह्य कारकों से न्यायिक तर्कों को पृथक रखें।

6 देखें, न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1850

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

19. इसके अलावा, इस प्रस्थापन के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि न्यायाधीश को स्वच्छ व्यक्तित्व की तरह संदेह से परे होना चाहिए। न्यायिक अधिकारी बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण संवैधानिक भूमिका का निर्वहन करते हैं। वे न केवल कार्यपालिका की अधिकता को नियंत्रित करते हैं, नागरिकों के अधिकार और कानून व व्यवस्था को बनाए रखते हैं। बल्कि वे सभ्य समाज के ढ़ाँचे को भी सहारा देते हैं। न्यायालय ही कानून को अवधारित करती है और इसके प्रवर्तन को सुनिश्चित करती है। वे लोगों में संवैधानिक व्यवस्था का भरोसा पैदा करती है और कानून की सर्वोच्चता और इसके सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करती है। इसलिए अदालतें लोगों को उनकी पाशविक प्रवृत्ति का सहारा लेने से रोकती हैं और इसके बजाय उन्हें विवादों को सुलझाने के लिए एक सरल और शिष्ट विकल्प प्रदान करती हैं। अदालतें व्यक्तियों को उसके आदेश का पालन कराने के लिए बंदूक या अन्य गलत साधनों का उपयोग नहीं करती हैं, बल्कि इसके बजाय उनके तर्क की शक्ति और सामान्य जनता के मन में विश्वास और सम्मान पर निर्भरता रखती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि कानून के संरक्षकों द्वारा न्यायिक उपयुक्तता से किसी भी भ्रष्टाचार या विचलन को सख्ती से और तेजी से निपटाया जाए।

20. इस न्यायालय द्वारा कई बार यह दोहराया गया है कि न्यायिक अधिकारियों को ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिकता के उच्च मानकों का होना चाहिए और पालन करना चाहिए। हाल ही में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने **श्रीरंग यादवराव वाघमारे बनाम महाराष्ट्र राज्य**[7] में बहुत ही सारगर्भित रूप से इन सिद्धांतों का संकलन किया और दोहराया कि:

---

7 (2019) 9 एससीसी 144

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

"5. एक न्यायाधीश में आवश्यक पहली और सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता सत्यनिष्ठा है। **न्यायपालिका में सत्यनिष्ठा की आवश्यकता अन्य संस्थानों की तुलना में बहुत अधिक है। न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है जिसकी नींव ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर आधारित होती है।** इसलिए यह आवश्यक है कि न्यायिक अधिकारी में उत्कृष्ट सत्यनिष्ठा का गुण होना चाहिए। तारक सिंह बनाम ज्योति बसु [तारक सिंह बनाम ज्योति बसु, (2005) 1 एससीसी 201] में इस न्यायालय ने इस प्रकार अवधारित किया: (एससीसी पेज 203)

> "अन्य के अलावा, सत्यनिष्ठा न्यायिक अनुशासन की पहचान है। समय आ गया है कि न्यायपालिका इस बात का पूरा ध्यान रखे कि न्याय के मंदिर में आंतरिक दरार न पड़े, जिससे न्याय–वितरण प्रणाली में तबाही होगी जिसके परिणामस्वरूप इस प्रणाली में जनता के विश्वास में कमी हो जाएगी। यह याद रखना चाहिए कि अंदर के कठफोड़वा बाहर के तूफान से अधिक खतरा पैदा करते हैं।"

6. **न्यायाधीश का व्यवहार न्यायालय के भीतर और बाहर, दोनों जगह एक निश्चित मानक का होना चाहिए।** इस न्यायालय ने दया शंकर बनाम उच्च न्यायालय, इलाहाबाद [दया शंकर बनाम उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (1987) 3 एससीसी 1: 1987 एससीसी (एल एंड एस) 132] में इस प्रकार अवधारित किया: (एससीसी पेज 1)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

"न्यायिक अधिकारियों के दो मानक नहीं हो सकते हैं, एक न्यायालय में और दूसरा न्यायालय के बाहर। उनका केवल सदाचार, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का एक मानक होना चाहिए। वे अपने द्वारा धारित पद में थोड़ी सी अयोग्यता से भी कार्य नहीं कर सकते।"

7. न्यायाधीश भी लोक सेवक हैं। एक न्यायाधीश को हमेशा याद रखना चाहिए कि वह जनता की सेवा करने के लिए वहां है। एक न्यायाधीश को न केवल उसके निर्णयों की गुणवत्ता, बल्कि उसके चरित्र की गुणवत्ता और शुद्धता से भी आंका जाता है। **एक न्यायाधीश के सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन, दोनों में अनुकरणीय सत्यनिष्ठा परिलक्षित होनी चाहिए। जो दूसरों पर निर्णय देता है, उसे अदोषपूर्ण होना चाहिए।** यह उच्च मानक है जो न्यायाधीशों से अपेक्षित है।

8. न्यायाधीशों को यह याद रखना चाहिए कि वे केवल कर्मचारी नहीं हैं बल्कि उच्च लोक पद धारण करते हैं। आर. सी. चंदेल बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय [आर. सी. चंदेल बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, (2012) 8 एससीसी 58: (2012) 4 एससीसी (सिविल) 343: (2012) 3 एससीसी (आपराधिक) 782: (2012) 2 एससीसी (एल एण्ड़ एस) 469] में, इस न्यायालय ने यह अवधारित किया कि **न्यायाधीश से अपेक्षित आचरण का मानक, एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक है।** इस न्यायालय के निम्नलिखित संप्रेक्षण सुसंगत हैं: (एससीसी पृष्ठ 70, प्रस्तर 29)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

"29. न्यायिक सेवा एक साधारण सरकारी सेवा नहीं है और न्यायाधीश इस तरह के कर्मचारी नहीं हैं। न्यायाधीश लोक पद धारण करते हैं; उनका कार्य राज्य के आवश्यक कार्यों में से एक है। अपने कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में, न्यायाधीश राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। न्यायाधीश जो पद धारण करता है वह लोक न्यास का पद है। एक न्यायाधीश को निष्कलंक सत्यनिष्ठा और असंदिग्ध स्वतंत्रता का व्यक्ति होना चाहिए। उच्च नैतिक मूल्यों के साथ उसे अंतरात्मा तक ईमानदार होना चाहिए। जब कोई वादकारी अदालत में प्रवेश करता है, तो उसे सुरक्षित महसूस करना चाहिए कि न्यायाधीश, जिसके समक्ष उसका मामला आया है, निष्पक्ष रूप से और बिना किसी प्रभाव के न्याय प्रदान करेगा। न्यायाधीश से अपेक्षित आचरण का मानक, साधारण व्यक्ति से बहुत अधिक है। यह कोई बहाना नहीं है कि चूंकि समाज में मानक गिर गए हैं, इसलिए जो न्यायाधीश समाज से निकलकर आते हैं, उनसे न्यायाधीश के लिए अपेक्षित आवश्यक उच्च मानकों और नैतिक दृढ़ता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सीजर की पत्नी की तरह *(बिना संदेह के)* एक न्यायाधीश को संदेह से ऊपर होना चाहिए। न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता उन न्यायाधीशों पर निर्भर है जो इसे करते हैं। किसी लोकतंत्र को फलीभूत होने के लिए और विधि के शासन को बनाए रखने के लिए, न्याय प्रणाली और न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत होना

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

चाहिए और प्रत्येक न्यायाधीश को अपने न्यायिक कार्यों को सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और बौद्धिक ईमानदारी के साथ निर्वहन करना चाहिए।"

9. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि किसी न्यायाधीश को केवल अभिलेख पर मौजूद तथ्यों और मामले पर लागू कानून के आधार पर मामले का फैसला करना चाहिए। **यदि कोई न्यायाधीश किसी भी बाहरी कारणों से प्रभावित होकर कोई मामला निर्णीत करता है, तो कानून के अनुसार वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है।**

10. हमारे विचार से "पारितोषण" शब्द का अर्थ केवल मौद्रिक पारितोषण नहीं है। पारितोषण कई प्रकार का हो सकता है। यह धन का पारितोषण, शक्ति का पारितोषण, कामना इत्यादि का पारितोषण हो सकता है..."

(प्रभाव वर्धित)

21. हम इस तथ्य से भी अनजान नहीं हैं कि मात्र संदेह 'कदाचार' का गठन नहीं कर सकता है। कदाचार की किसी भी 'संभाव्यता' को मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य के साथ समर्थन करने की आवश्यकता है, भले ही सबूत का मानक स्पष्ट रूप से एक आपराधिक मुकदमे में कदाचार के समतुल्य न हो। इन मापदण्ड़ों को लागू करते समय, उच्च न्यायालय से विभिन्न न्यायाधीशों के बीच भिन्न मानकों और दृष्टिकोणों के अस्तित्व पर विचार करने की अपेक्षा की जाती है। न्यायिक अधिकारियों के असंख्य उदाहरण हैं जो जमानत देने, एम.ए.सी.टी. के तहत मुआवज़ा देने या अधिग्रहित भूमि के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

लिए, कर्मकारों की बकाया राशि या अपकृत्यपूर्ण दायित्व के अन्य मामलों में अनिवार्य मुआवज़ा प्रदान करने में उदार हैं। इस तरह के अनुतोष उन्मुख न्यायिक दृष्टिकोण अपने आप में एक अधिकारी की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर आक्षेप लगाने के लिए आधार नहीं हो सकते हैं।

22. इसके अलावा, कोई भी हमारे देश की वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं कर सकता है, जिसमें अनगिनत शिकायतकर्ता अक्सर थोड़े से रूपये या यहां तक कि सस्ती क्षणिक लोकप्रियता के लिए बिना किसी संकोच के न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। कभी-कभी बार *(अधिवक्ता)* के कुछ असंतुष्ट सदस्य भी उनके साथ मिल जाते हैं और अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारी आमतौर पर सबसे आसान लक्ष्य होते हैं। इसलिए उच्च न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे अपनी सुरक्षात्मक छतरी *(बचाव)* का विस्तार करें और यह सुनिश्चित करें कि ईमानदार और सरल न्यायिक अधिकारियों को नासाबित हमले के अधीन न किया जाए।

23. इस मामले में यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय को स्वयं विधि के इस स्थापित सिद्धांत की जानकारी थी। अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को भी इन सिद्धांतों में कोई गलती नहीं मिली, और वह केवल वर्तमान मामले के तथ्यों पर इनको लागू करना चाहते हैं।

24. यह अभिलेखीय तथ्य बात है कि जिस समय उच्च न्यायालय के समक्ष यह मामला विचार में आया, तो अपीलकर्ता के दोनों भूमि अधिग्रहण निर्णयों के खिलाफ रिट याचिकाओं को उनकी समन्वय पीठों द्वारा खारिज कर दिया

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

गया था। फिर भी, उच्च न्यायालय ने ठीक ही संप्रेक्षित किया कि अपीलकर्ता के आदेशों के विरूद्ध रिट याचिकाओं का खारिज होना उसके आदेशों के अनुमोदन या पुष्टि के रूप में कार्य नहीं करता है। उच्च न्यायालय द्वारा ठीक ही उल्लिखित किया गया कि वास्तव में अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा का क्षेत्र सीमित है। रिट अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप करने से पूर्व प्राप्त किए जाने वाले मानक बहुत उच्च हैं और संदर्भ न्यायालय के आदेश को पलटने के लिए एक रिट अदालत के निष्कर्ष में घोर सारवान अन्याय, स्पष्ट प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ होनी चाहिए या कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने की आवश्यकता हो। इसलिए रिट याचिका को खारिज करना किसी विशेष मामले में इन उच्च मानकों में से किसी को प्रदर्शित करने में विफलता का संकेत देता है, न कि किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन।

25. हालांकि, वर्तमान मामले के तथ्य अलग हैं। वास्तव में इस न्यायालय ने कथित गलत आदेशों के गुणावगुण पर विचार किया। न केवल निर्णय की पुष्टि की गई, बल्कि मुआवजे को और बढ़ाया गया। अतः अब यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी का आदेश निष्कर्ष में गलत था। यह तथ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्थापित करता है कि अपीलकर्ता द्वारा मुआवजे में वृद्धि घृणित (विरोधी) नहीं थी।

26. यदि आरोप विशिष्ट था कि निर्णय लेने की प्रक्रिया बाहरी विचारों से प्रभावित थी, तो अपीलकर्ता के निष्कर्षों की शुद्धता शायद उतनी मायने नहीं रखती। हालांकि ऊपर बताये गए आरोपों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

जांच का विशेष कारण, बेईमानी का अनुमान और साथ ही जुर्माना लगाना केवल मुआवजे की वृद्धि के निष्कर्ष के आधार पर था। यह देखते हुए कि उन दो आदेशों में से एक को उच्च न्यायालय के स्तर पर कैसे अस्वीकार कर दिया गया था और दूसरे की इस न्यायालय द्वारा सैद्धांतिक रूप से पुष्टि की गयी थी और आगे बढ़ाया गया था, तो आरोपों का आधार अब शेष नहीं रह जाता है।

27. हम इस सिद्धांत में कोई गलती नहीं निकाल सकते हैं कि न्यायनिर्णयन का अंतिम परिणाम मायने नहीं रखता है और केवल यह प्रासंगिक होता है कि क्या दोषी अधिकारी ने अवैध पारितोषण (मौद्रिक या अन्यथा) लिया था या प्रक्रिया का संचालन करते समय बाहरी चीजों द्वारा प्रभावित था। वास्तव में, कई बार यह संभव है कि एक न्यायिक अधिकारी एक आदेश देते समय अपने पद से अशोभनीय आचरण में लिप्त हो सकता है, जिसका परिणाम कानूनी रूप से सही हो। इस तरह का अशोभनीय आचरण या तो एक न्यायाधीश के रूप में हो सकता है जो किसी मामले को सामान्य अनुक्रम से हटकर लेता है, स्थगन के माध्यम से सुनवाई में देरी करता है, पार्टियों को उनके कानूनी बकाया देने के लिए रिश्वत मांगता है आदि। अनिवार्य रूप से इनमें से किसी को भी परिणाम को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, वर्तमान मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोप-पत्र के परिशीलन से पता चलता है कि प्रक्रिया का ऐसा कोई आरोप अपीलकर्ता के खिलाफ नहीं लगाया गया है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

28. अपीलकर्ता के पक्ष में किसी भी बाहरी चीज को वास्तव में प्राप्त करने या अशोभनीय आचरण करने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसके बजाय, 'कदाचार' के निष्कर्ष का आधार ही स्वयं अंतिम परिणाम है, जो उच्च न्यायालय के अनुसार इतना चौंकाने वाला था कि इसने अपीलार्थी की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के बारे में एक स्वाभाविक संदेह पैदा कर दिया। हालांकि यह निर्वात में (किसी खाली जगह में) सही हो सकता है, हालांकि यह देखते हुए कि स्वयं अंतिम परिणाम को उच्चतर न्यायालयों द्वारा छेड़ा नहीं गया है और दो मामलों में से एक में, केवल मुआवजे में वृद्धि हुई है, अतः इस तरह का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इस प्रकार, अपीलकर्ता के विरूद्ध पूरा मामला कार्ड के घर की तरह *(असंतुलित होकर)* ढह जाता है।

निष्कर्ष

29. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, अपील को अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जाता है और अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित 17.01.2006 दिनांकित बर्खास्तगी के आदेश को अपास्त किया जाता है, और सेवानिवृत्त लाभों सहित परिणामी लाभों के साथ बहाली के लिए अपीलकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार किया जाता है। खर्चे के लिए कोई आदेश नहीं।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

……...……..

(भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े)

..……....……...

(न्यायमूर्ति बी.आर. गवई)

……...…….

(न्यायमूर्ति सूर्य कांत)

नई दिल्ली

दिनांकः 06.03.2020

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।